



## क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण और शिक्षा: झारखण्ड के सन्दर्भ में

\*मुन्ना राम महतो \*\*राधिका कुमारी \*\*\*डॉ.चिरंजित सेतुया

\*शोधार्थी, शिक्षा विभाग, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड

\*\*शोधार्थी, हिंदी विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड

\*\*\*सहायक प्राध्यापक, मध्यमग्राम बीएड कॉलेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

ORCID: \*\*\*0000-0003-2623-8597

DOI: <https://doi.org/10.70798/TGJCT/01020006>

### सारांश

भारत बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक राज्यों का संघ देश है। ऐसे बहुभाषिक देश में, जहाँ हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट भाषा, बोली और सांस्कृतिक पहचान है, वहाँ शिक्षा का माध्यम यदि बालक की अपनी भाषा हो, तो वह शिक्षा को सहज, सुगम और प्रभावी बनाता है। झारखण्ड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। यह भारत का 28 वाँ राज्य के रूप में उदृत हुआ है। यह राज्य अपने जंगलों, झरनों, पहाड़ियों, और पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ भूगोलिक विविधता के साथ ही साथ भाषाई, सांस्कृतिक, जातीय एवं जनजातीय विविधताएँ पायी जाती हैं। झारखण्ड राज्य में अनेक क्षेत्रीय भाषाएँ और बोलियाँ जैसे - नागपुरी, कुरमाली, कुडुख, संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो, खड़िया, पंचपरगनिया आदि प्रचलित हैं, जो बहुसंख्यक विद्यार्थियों की मातृभाषा हैं। परंतु विद्यालयी शिक्षा प्रायः हिंदी अथवा अंग्रेजी के माध्यम से दी जाती है, जिससे भाषा की बाधा बच्चों की शिक्षा में बाधक बनती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दिए जाने की सिफारिश की गई है। यह शोधपत्र इसी पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण और शिक्षा (झारखण्ड के सन्दर्भ में) प्रस्तुत करता है।

**कुंजी शब्द :** क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा की संरक्षण, क्षेत्रीय भाषा आधारित शिक्षण

### प्रस्तावना

भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ भाषाई विविधता उसकी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। झारखण्ड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। यह भारत का 28 वाँ राज्य के रूप में उदृत हुआ है। इस राज्य की पहचान उसकी आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ी हुई है। नागपुरी, कुड़माली, खोरठा, कुरुख, संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो, बिरजिया, पहाड़ी, पंचपरगनिया आदि भाषाएँ न केवल यहाँ की लोकसंस्कृति की वाहक हैं, बल्कि सामाजिक अस्मिता और सांस्कृतिक धरोहर का आधार भी हैं। भाषाओं के संरक्षण की प्रक्रिया केवल भाषाई अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक विकास से भी गहराई से जुड़ी हुई है। शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम हो सकता है। भारत विश्व का वह देश है जहाँ भाषायी विविधता सबसे अधिक है। यहाँ लगभग 22 भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं और इसके अतिरिक्त हजारों बोलियाँ और जनजातीय भाषाएँ विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ये भाषाएँ केवल संचार का साधन नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और लोकज्ञान की वाहक हैं। किंतु वैश्वीकरण, शहरीकरण और अंग्रेजी के बढ़ते दबाव के कारण अनेक क्षेत्रीय भाषाएँ धीरे-धीरे लुप्त होने की कगार पर हैं।

भाषा किसी भी समाज की आत्मा है। जब कोई भाषा मरती है तो केवल शब्द नहीं खोते बल्कि उस भाषा से जुड़ा ज्ञान, लोकसाहित्य, संगीत, कला, जीवनशैली और सामूहिक पहचान भी खो जाती है। इसी कारण क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं पर कई हुए हैं, जिसमें इसकी महत्ता साफ दिखती है जैसे, महापात्र (2007), ओडिशा में आदिवासी

भाषाओं पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि मातृभाषा आधारित शिक्षा से आदिवासी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ी। सिंह (2012), झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति का विश्लेषण किया। निष्कर्ष: पाया कि संथाली और (उराँव) कुड़ुख भाषाओं में शिक्षा की पहल से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। मिश्रा (2015), छत्तीसगढ़ में गोंडी भाषा में शिक्षा का प्रयोग किया गया। परिणाम: यह पाया कि बच्चों में सीखने में रुचि और आत्मविश्वास दोनों बढ़े। एक्का (2018), (उराँव) कुड़ुख भाषा और शिक्षा पर शोध किया। निष्कर्ष: मातृभाषा में शिक्षा से ड्रॉपआउट दर घटी और लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ी।

## शोध के उद्देश्य

1. झारखण्ड में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं से अवगत कराना।
2. झारखण्ड के क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के उपायों को बताना।
3. क्षेत्रीय भाषाओं के चुनौतियों को बतलाना।

## शिक्षा और भाषा का संबंध

शिक्षा भाषा के बिना संभव नहीं है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके जरिए ज्ञान अर्जन, चिंतन, अनुभव साझा करना और सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण होता है। जब बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाती है तो वे बेहतर ढंग से समझते और सीखते हैं। UNESCO (2003, 2020) ने भी मातृभाषा आधारित शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बुनियाद बताया है। भारत की शिक्षा नीतियों में भी समय-समय पर क्षेत्रीय भाषाओं पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक और जहाँ संभव हो कक्षा 8 तक मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए।

भारत में क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति विरोधाभासी है। एक ओर तो संविधान और नीतियाँ उनके संरक्षण की बात करती हैं, वहीं दूसरी ओर व्यावहारिक स्तर पर कई भाषाएँ उपेक्षा का शिकार हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था में इनका स्थान मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले समय में अनेक भाषाएँ लुप्त हो सकती हैं। शिक्षा और भाषा का संबंध गहरा और अविभाज्य है। भाषा केवल संचार का माध्यम ही नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन, अभिव्यक्ति और बौद्धिक विकास का भी आधार है। यदि शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में दी जाती है तो उसकी समझ, आत्मविश्वास और रचनात्मकता अधिक विकसित होती है। इसी कारण शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग संरक्षण और संवर्द्धन का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है।

शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाएँ एक-दूसरे के पूरक हैं। मातृभाषा आधारित शिक्षा न केवल बच्चों की बौद्धिक और भावनात्मक वृद्धि में सहायक है बल्कि भाषा संरक्षण का भी सबसे कारगर साधन है। हालाँकि इसके सामने चुनौतियाँ अनेक हैं, फिर भी नीतिगत इच्छाशक्ति और सामाजिक सहयोग से क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा में सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सकता है।

## झारखण्ड की क्षेत्रीय भाषाओं का परिदृश्य

झारखण्ड में कुल 32 से अधिक जनजाति पाई जाती है। इन लोगों के बीच विभिन्न बोलियाँ और भाषाएँ प्रचलन में हैं। यहाँ मुख्यतः तीन भाषा परिवार के भाषाएँ बोली और उपयोग की जाती हैं जिनमें कुछ जनजातीय भाषा तो कुछ क्षेत्रीय भाषा के रूप में परिभाषित की जाती हैं।

- **ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवार** – मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया।
- **द्रविड़ परिवार** – कुरुख (उराँव), मालतो।
- **इंडो-आर्यन परिवार** – नागपुरी, कुरमली, पंचपरगनिया, खोरठा, भोजपुरी, मगही।

2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड की लगभग 70% जनसंख्या किसी न किसी क्षेत्रीय भाषा को घर में बोलती है। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय भाषाएँ यहाँ की सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता की रीढ़ हैं।

## भाषा के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण

**गांधी जी का दृष्टिकोण:** गांधीजी ने 'बेसिक एजुकेशन' योजना में मातृभाषा को शिक्षा का आधार माना। उनका मानना था कि विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा बच्चों की बौद्धिक प्रगति में बाधा है।

**डॉ. राम मनोहर लोहिया:** ये क्षेत्रीय भाषाओं के पक्षधर थे। शिक्षा में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को अनिवार्य मानते थे।  
**कोठारी आयोग (1964-66):** इस आयोग में तीन-भाषा सूत्र का सुझाव दिया गया है। तथा प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में देने पर बल दिया है।  
**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, 2020:** सभी नीतियों में मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा किया गया है। NEP 2020 ने इसे स्पष्ट और अनिवार्य स्वरूप में प्रस्तुत किया है।  
**NCERT (2011, 2019):** शोध अध्ययनों में पाया गया कि मातृभाषा माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धियाँ अधिक हैं। ड्रॉपआउट दर में कमी आती है।

## क्षेत्रीय भाषाएँ क्या होती हैं?

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्षेत्रीय भाषाएँ वे भाषाएँ होती हैं जो किसी देश के किसी विशेष क्षेत्र या वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़ जैसी भाषाएँ मुख्यतः कुछ विशेष क्षेत्रों में बोली जाती हैं। किसी अतिरिक्त भाषा का ज्ञान एक उम्मीदवार की आय और नौकरी की संभावनाओं को 35% तक बढ़ा सकता है। आने वाले पाँच वर्षों में इस मांग के 56% तक बढ़ने का अनुमान है। यह प्रतिस्पर्धात्मक लाभ निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण के इस युग में किसी ऑनलाइन विद्यालय को द्विभाषिकता और बहुभाषिकता की शक्ति पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। भारत में किसी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान साहित्य, परंपराओं, पुस्तकों, फिल्मों और उस विशेष भाषा की सामग्री को जानने का अनोखा अवसर प्रदान करता है। इससे व्यक्ति अधिक सहिष्णु बनता है। वर्तमान समय के छात्रों के लिए अंतरसांस्कृतिक समझ का विकास एक अतिरिक्त लाभ है। आज शैक्षणिक अवसर (जैसे ऑनलाइन स्कूल), कार्यस्थल की प्रवृत्तियाँ और अत्यधिक डिजिटल जीवनशैली भौगोलिक सीमाओं से परे जा चुके हैं। जब कोई छात्र एक या एक से अधिक अतिरिक्त भाषाएँ जानता है, तो यह मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने में अधिक कुशल बनाता है। अध्ययनों से यह भी सिद्ध हुआ है कि द्विभाषी व्यक्ति अप्रासंगिक (irrelevant) जानकारी को अनदेखा करने में अधिक सक्षम होते हैं। इन लाभों के अतिरिक्त, भारत की मूल भाषाओं को समझना व्यक्ति/वक्ता को अन्य जातीय समूहों के साथ बेहतर सामाजिक संबंध बनाने में भी मदद करता है।

## क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व

भारत की भाषाई संरचना विश्व में अद्वितीय है। यहाँ प्रत्येक राज्य, क्षेत्र और समुदाय की अपनी-अपनी भाषाएँ और बोलियाँ हैं। ये भाषाएँ केवल संचार का साधन ही नहीं बल्कि सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक धरोहर और परंपरागत ज्ञान का खजाना हैं। यदि इन्हें सुरक्षित न रखा जाए तो आने वाली पीढ़ियाँ न केवल भाषा बल्कि उससे जुड़ी हुई पूरी संस्कृति और जीवन दृष्टि से वंचित हो जाएँगी।

- सांस्कृतिक पहचान का आधार: क्षेत्रीय भाषाएँ किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का मूल हैं। लोककथाएँ, लोकगीत, कहावतें और कहानियाँ इन्हीं भाषाओं में जीवित रहती हैं। नृत्य, संगीत और त्योहारों की मौलिकता भाषा के माध्यम से ही संरक्षित रहती है। यदि भाषा विलुप्त हो जाए तो समुदाय की सांस्कृतिक आत्मा भी क्षीण हो जाती है।
- सामाजिक एकता और सामुदायिकता: भाषा लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में सामूहिक भावना और सहयोग की प्रवृत्ति मजबूत होती है। भाषाई समूह अपने सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाषा को ही माध्यम बनाते हैं, जिससे समुदाय की एकता बनी रहती है। बहुभाषी समाज में विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद और सहयोग राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करता है।
- ज्ञान और परंपरा का संवाहक: हर भाषा अपने साथ स्थानीय ज्ञान लेकर चलती है। कृषि, मौसम, लोक-चिकित्सा, पारंपरिक शिल्प और सामाजिक व्यवहार से संबंधित अनुभव भाषा में ही संरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड की आदिवासी भाषाओं में कृषि और प्रकृति से जुड़ी अनगिनत पारंपरिक संज्ञाएँ हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। यदि भाषा लुप्त हो जाए तो यह ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा।

- शिक्षा में योगदान: बच्चों के लिए सबसे सहज और प्रभावी शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा होती है। शोध से सिद्ध हुआ है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी विषयों को अधिक गहराई से समझते हैं और उनमें सृजनात्मकता विकसित होती है। क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग शिक्षा में करने से बच्चों में आत्मविश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों मजबूत होते हैं।
- राष्ट्रीय एकता में योगदान: भारतीय संविधान ने सभी भाषाओं को सम्मान दिया है। भाषाई विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकता बनी रहना इस बात का प्रमाण है कि भारत में भाषाएँ विभाजन का कारण नहीं बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि का स्रोत हैं। जब क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा और प्रशासन में स्थान मिलता है, तब बहुभाषी समाज में संतुलन और एकता की भावना मजबूत होती है।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य: वेल्स, आयरलैंड, स्पेन (कैटलन भाषा), और कनाडा (फ्रेंच भाषा) में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा में शामिल करने से उनकी पुनःस्थापना और मजबूती हुई। UNESCO लगातार यह सुझाव देता रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाया जाए ताकि वे संरक्षित रह सकें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

## भाषा संरक्षण की आवश्यकता

**सांस्कृतिक पहचान:** क्षेत्रीय भाषाएँ लोककथाओं, गीतों, कहावतों और मौखिक परंपराओं में समाहित हैं।

**शिक्षा और ज्ञान:** बच्चे अपनी मातृभाषा में जल्दी और गहराई से सीखते हैं।

**लुप्त होने का खतरा:** वैश्वीकरण, शहरीकरण और हिंदी/अंग्रेजी के प्रभाव के कारण कई जनजातीय भाषाएँ धीरे-धीरे विलुप्ति की कगार पर हैं।

**संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची और अनुच्छेद 350A मातृभाषा में शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं।

## शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका

**प्रारंभिक शिक्षा:** शोध से सिद्ध हुआ है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

**शिक्षण सामग्री:** यदि पाठ्यपुस्तकें, कहानी-पुस्तकें और बालगीत क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हों, तो शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है।

**द्विभाषी मॉडल:** क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी/अंग्रेजी का सह-अस्तित्व बच्चों को बहुभाषी बनाता है।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** इसमें मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिक स्तर तक शिक्षा देने पर विशेष बल दिया गया है।

## चुनौतियाँ

- **पाठ्यपुस्तकों की कमी:** अधिकांश क्षेत्रीय भाषाओं में लिखित साहित्य और मानकीकरण का अभाव है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण:** क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार शिक्षकों की कमी।
- **नीतिगत उदासीनता:** सरकारी विद्यालयों में हिंदी/अंग्रेजी को प्राथमिकता मिलती है।
- **सामाजिक दृष्टिकोण:** कई परिवार क्षेत्रीय भाषाओं को “पिछड़ेपन” का प्रतीक मानते हैं और बच्चों को हिंदी/अंग्रेजी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं।

## वर्तमान चुनौतियाँ

- वैश्वीकरण और अंग्रेजी का दबाव : आधुनिक शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है।
- शहरीकरण और सांस्कृतिक विस्थापन : शहरों में पलायन के कारण क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग घट रहा है।
- पाठ्यपुस्तक और संसाधनों की कमी : क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री का अभाव है।

- सामाजिक दृष्टिकोण: समाज में अंग्रेजी या हिंदी बोलने वालों को अधिक “प्रतिष्ठा” मिलती है, जिससे अभिभावक बच्चों को क्षेत्रीय भाषा की बजाय अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं।

## भाषाओं की उपेक्षा के कारण

- अंग्रेजी को रोजगार और आधुनिकता का प्रतीक मानना।
- शहरीकरण और पलायन के कारण बच्चों का क्षेत्रीय भाषा से कटाव।
- शिक्षा नीतियों के सही क्रियान्वयन की कमी।
- क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त साहित्य और संसाधन न होना।

## संरक्षण और संवर्धन के उपाय

- पाठ्यक्रम और शिक्षा नीति: प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश अनिवार्य किया जाए। उच्च शिक्षा स्तर पर भी क्षेत्रीय भाषाओं में शोध और पठन-पाठन को बढ़ावा दिया जाए।
- साहित्य और मीडिया: क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक रचनाओं, फिल्म, नाटक और संगीत को प्रोत्साहित किया जाए। टेलीविजन और रेडियो पर क्षेत्रीय भाषा आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-लर्निंग ऐप्स पर क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री तैयार की जाए। AI और मशीन ट्रांसलेशन के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को तकनीक में स्थान दिलाया जाए।
- सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास: भाषा संरक्षण केंद्र (Language Resource Centre) की स्थापना। भाषाई उत्सव और सांस्कृतिक आयोजन। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थानीय स्तर पर भाषाओं के संरक्षण का अभियान।
- साहित्य सृजन: लोककथाओं, गीतों, कहावतों और इतिहास का संकलन कर पुस्तकें व डिजिटल सामग्री तैयार करना।
- सामुदायिक भागीदारी: पंचायत, स्थानीय संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएँ भाषा संरक्षण के अभियान चलाएँ।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम: नृत्य, गीत और नाटक के माध्यम से भाषा और संस्कृति को जीवित रखना।

## निष्कर्ष

झारखण्ड की क्षेत्रीय भाषाएँ केवल संप्रेषण का साधन नहीं हैं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता और सामूहिक स्मृति का हिस्सा हैं। केरकेट्टा (2019) का यह दृष्टिकोण कि “शिक्षा ही भाषा संरक्षण का सबसे सशक्त माध्यम है”, आज और भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। यदि राज्य सरकार, शैक्षिक संस्थान और समाज मिलकर प्रयास करें तो क्षेत्रीय भाषाओं को न केवल संरक्षित किया जा सकता है बल्कि इन्हें नई पीढ़ी तक गर्व और पहचान के साथ पहुँचाया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश अनिवार्य कर तथा उच्च शिक्षा स्तर पर भी क्षेत्रीय भाषाओं में शोध और पठन-पाठन को बढ़ावा देकर इन्हें संरक्षित रखा जा सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक रचनाओं, फिल्म, नाटक और संगीत को टेलीविजन और रेडियो पर कार्यक्रमों का प्रसारण कर इससे निरन्तर आगे विरासत के रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है।

## सन्दर्भ सूची

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) रिपोर्ट, 2023।

Kumar, Nilesh (2022). Primary Education and Language Policy in Tribal Areas,।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।

खलखो, पीटर (2020). झारखण्ड की भाषाई विविधता और शिक्षा, जनजातीय अध्ययन पत्रिका।

लकड़ा, अर्चना (2019). नागपुरी भाषा आधारित शिक्षण का प्रभाव, राँची विश्वविद्यालय।

# *The Global Journal of Contextual Thought*

(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)

Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: [www.tgjct.org](http://www.tgjct.org) Email: [editor@tgjct.org](mailto:editor@tgjct.org) ISSN: 3107-7528 (Online)

महतो, वी.आर. (2019). झारखण्ड में प्राथमिक शिक्षा की भाषाई चुनौतियाँ, शिक्षा विमर्श ।

सेठ, आर.के. (2017). मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा का महत्व, भारतीय शिक्षा जर्नल ।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

